



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229491
CG-DL-E-08092021-229491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3332]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3332]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

का.आ. 3637(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2583(अ), तारीख 24 जून, 2021 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 जून, 2021 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, “द इण्डियन एक्सप्रेस”, तारीख 09 जुलाई, 2021 और “पुण्य नगरी”, तारीख 09 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: ठाणे

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या / गट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भिवंडी	पायेगांव	76 / 8 (नया) 260 / 8 (पुराना)	निजी	खेती	0.0580	महेंद्र आत्माराम पाटिल

[फा. सं. 2021 / एलएमएल-II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2197]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

S.O. 3637(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2583(E), dated the 24th June, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 28th June, 2021 and issued under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the local daily newspapers namely, “The Indian Express”, dated the 09th July, 2021 and “Punya Nagari”, dated the 09th July, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra.

Name of the District: Thane.

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number / Gut Number	Type of Land	Nature of Land	Area In Hectare	Name of Land Owners/ Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bhiwandi	Payegaon	76/8 (New) 260/8 (Old)	Private	Agriculture	0.0580	Mahendra Atmaram Patil.

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2197]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)